न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 146/2017/225 आर टी ए

1. साबर अली पुत्र गुलाबअली जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं0 10 गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. गुलजारा पत्नि शाह वरयाम पुत्री अहमददीन जाति अहमददीन जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. वाईया पत्नि श्योकत अली पुत्री अहमददीन जाति मुसलमाल निवासी वार्ड नं. 11 गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. सिमरो कौर पुत्री आसासिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. अशकर अली पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. सुबा सादक पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. गुलाब अली पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. नवाब अली पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. मुराद अली पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. ऐश अली पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. रसूला बीबी पत्नि मुस्ताक अली पुत्री गुलाब अली जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. अकबर अली पुत्र गुलाबअली जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 10 गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 23.01.2017 व संशोधित आदेश दिनांक 01.02.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं0 97/2016 अनवानी सिमरोकौर बनाम अशकरअली

उपस्थित :–
श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता अपीलांटस
श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्रीमति शकुन्तला भाटीवाल अधिवक्ता रेस्पो0
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 10

निर्णय दिनांकः–31.05.2018

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए प्रस्तुत कर अपीलांट की

खातेदारी भूमि मे से चक 42 एनजीसी खाता सं. 45/46 प.न. 146/254 कि.न. 23 के दक्षिण सींव पर पूर्व से पश्चिम या कि.न. 18 के उतरी सींव पर पूर्व से पश्चिम 1) बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने अनुतोष चाहा जिसमे अधीनस्थ न्यायालय ने सम्मन जारी करने के कोई आदेश जारी नही किये लेकिन दिनांक 20.09.2016 को अपीलांट व अन्य रेस्पो0 की तलबी हेतु दिनांक 28.09.2016 की तारीख पेशी के लिऐ सम्मन जारी किये गये तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार हनुमानगढ़ से पटवारी रिपोर्ट मंगवाकर दिनांक 23.01.2017 को चक 42 एनजीसी प.न. 146/254 कि.न. 23 के दक्षिण सींव पर पूर्व से पश्चिम 1–1/2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश पारित किये तथा तत्पश्चात दिनांक 01.02.2017 को प.न. 146/254 के कि.न. 23 के उतरी सींव पर 1–1/2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के संशोधित आदेश पारित किये, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2017 व संशोधित आदेश दिनांक 01.02.2017 कतई गलत व विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई सुनवाई का मौका नही दिया। अपीलांट के पास अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन को लेकर तामिल कुनिन्दा कभी भी नही आया तथा न ही अपीलांटस ने कोई सम्मन लेने से इन्कार किया। रेस्पो0 सं. 1 ने अपीलांटस के गांव का नाम जानबूझकर अधूरा दर्ज किया। अपीलांअ ने कभी भी सम्मन लेने से इन्कार नही किया। रेस्पो0 सं. 1 की भूमि मुश्तरका खाता मे दर्ज है लेकिन रेस्पो0 सं. 1 ने मुश्तरका खातेदारान को पक्षकार नही बनाया इस आधार पर भी आक्षेपित आदेश अपास्त होने योग्य है। दिनांक 23.01.2017 को अधीनस्थ न्यायालय ने चक 42 एनजीसी के प.न. 146/254 के कि.न. 23 के दक्षिणी सींव पर पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमाये तत्पश्चात अपीलांट को बिना सुने व रेस्पो0 सं. 1 द्वारा चाहे गये अनुतोष से हटकर प.न. 146/254 के कि.न. 23 के उतरी सींव पर रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित किये गये जो कतई गलत है। पटवारी हल्का ने अपीलांट की अनुपस्थिति मे रेस्पो0 सं. 1 से मिलीभगत कर अभिकथित रिपोर्ट करवाई है। अपीलांट रेस्पो0 सं. 1 के प्रार्थना पत्र मे महत्वपूर्ण जवाबदेही रखते है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे कथन किया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 23.01.2017 व संशोधित आदेश दिनांक 01.02.2017 का है जिसका अपीलांटस को कोई ज्ञान नही रहा है क्योंकि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अपीलांटस का अधूरा

पता अंकित कर नोटिस जारी करवाये व तामिल कुनिन्दा से मिलीभगत कर लेने से इन्कार की रिपोर्ट करवाई है। वास्तविक रूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस कभी भी प्राप्त नही हुआ है। दिनांक 16.05.2017 को मौका पर पटवारी हल्का चक 42 एनजीसी आये व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के बारे मे जानकारी दी व इस आक्षेपित आदेश के अनुसरण मे रास्ता संबंधी कार्यवाही करने का प्रयास किया जिस पर अपीलांट ने दिनांक 17.05.17 को आक्षेपित आदेश की नकल प्राप्त करने पर दिनांक 18.05.17 को आक्षेपित आदेश का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ। इसलिये ज्ञान से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि चक 42 एनजीसी खाता सं. 30/28 प.न. 146/254 मु.न. 20 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 प.न. 144/256 मु.न. 28 कि.न. 6, 15, 16, 25 कुल 2.530 है0 भूमि सयुक्त खाता मे रेस्पो0 सं. 1 के नाम 1.180 है0 मय गै.मु. भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा इसी चक के खाता सं. 81/81 प.न. 146/254 मु.न. 20 कि.न. 17 रेस्पो0 सं. 1 की एकल खातेदारी है। अपीलांटस व अन्य अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता मे वाके चक 42 एनजीसी खाता सं. 45/46 प.न. 146/254 मु.न. 20 कि.न. 13/1 मे 0.127 है0, 14/1 मे 0.126 है0, 18, 23 कुल 0.759 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रेस्पो0 सं. 1 को चक 42 एनजीसी प.न. 146/254 कि.न. 5, 6, 15, 16, 24, 25 की कब्जा काश्त की आराजी भूमि मे आवागमन हेतु कोई स्वीकृत रास्ता नही है। रेस्पो0 सं. 1 ने चक 42 एनजीसी खाता सं. 45/46 प.न. 146/254 कि.न. 23 के दक्षिण सींव पर पूर्व से पश्चिम या कि.न. 18 के उतरी सींव पर पूर्व से पश्चिम 1) बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने चक 42 एनजीसी के प.न. 146/254 के कि.न. 23 के दक्षिणी सींव पर पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमाये जिस पर रेस्पो0 सं. 1 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 सीपीसी प्रस्तुत किया तथा उक्त आदेश मे वर्णित दक्षिणी सींव के स्थान पर संशोधन कर उत्तरी सींव दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया क्योंकि तहसीलदार रिपोर्ट मे भी चक 42 एनजीसी के प.न. 146/254 के कि.न. 23 के उत्तरी सींव पर ही रास्ता मंजूर किया जाना उचित बताया गया है तत्पश्चात प.न. 146/254 के कि.न. 23 के उतरी सींव पर रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित किये गये जो सही है। अधिवक्ता

रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरएलआर 1994 (2) पेज 465 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए प्रस्तुत कर अपीलांट की खातेदारी भूमि मे से चक 42 एनजीसी खाता सं. 45/46 प.न. 146/254 कि.न. 23 के दक्षिण सींव पर पूर्व से पश्चिम या कि.न. 18 के उतरी सींव पर पूर्व से पश्चिम 1) बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने अनुतोष चाहा जिसमे अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार हनुमानगढ़ से पटवारी रिपोर्ट मंगवाकर दिनांक 23.01.2017 को चक 42 एनजीसी प.न. 146/254 कि.न. 23 के दक्षिण सींव पर पूर्व से पश्चिम 1–1/2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश पारित किये तथा तत्पश्चात दिनांक 01.02.2017 को प.न. 146/254 के कि.न. 23 के उतरी सींव पर 1–1/2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के संशोधित आदेश पारित किये गये जबकि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.01.2017 एवं संशोधित आदेश दिनांक 01.02.2017 पारित करने से पूर्व सुनवाई का कोई अवसर प्राप्त नही हुआ तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस एवं अन्य अप्रार्थीगण को बिना सुने दिनांक 23.01.2017 को पारित आदेश मे जरिये संशोधित आदेश दिनांक 01.02.2017 को संशोधन किया गया है जो विधिपूर्ण नही है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 सीपीसी प्रस्तुत होने के उपरांत पत्रावली पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर बाद जांच पूर्व पारित आदेश दिनांक 23.01.2017 मे संशोधन करने हेतु कार्यवाही की जानी चाहिए थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 सीपीसी प्रस्तुत होने पर पूर्व मे पारित आदेश दिनांक 23.01.2017 मे प्रभावित पक्षकारान को बिना सुने संशोधन कर दिया जो विधिपूर्ण नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.01.2017 व संशोधित आदेश दिनांक 01.02.2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.01.2017 व संशोधित आदेश दिनांक 01.02.2017 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को

इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण के संबंध मे न्याय आपके द्वार अभियान 2018 दिनांक 07.06.2018 को कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ज्वालासिंहवाला मे तहसीलदार स्वयं रास्ता के संबंध में मौका निरीक्षण करें तथा अधीनस्थ न्यायालय मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत रेस्पो0 सं. 1 को रास्ता अत्यन्त आवश्यकता के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुए रास्ता के प्रकरण का निस्तारण करें। प्रकरण के निस्तारण होने तक अपीलांटस मौका पर चल रहे प्रश्नगत रास्ते मे बाधा कारित नही करें तथा चालू रास्ता को बन्द न करें। उभय पक्ष दिनांक 07.06.2018 न्याय आपके द्वार अभियान 2018 कैम्प कोर्ट ग्राम ज्वालासिंहवाला मे उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official